853 भाग/II
6-2-12

539

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

सत्यमेव जयते

कार्तिक 11, बुधवार, शाके 1933–नवम्बर 2, 2011

Kartika 11, Wednesday, Saka 1933–November 2, 2011

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 1, 2011

जी.एस.आर. 85:– राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 16) की धारा 3 के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

अध्याय 1
प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) नियम, 2011 है ।

(2) इनका प्रसार किसी नगरपालिका द्वारा प्रशासित क्षेत्रों को छोड़कर, संविधान के अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) में यथा–निर्दिष्ट राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्रों में होगा ।

(3) ये नियम इनके राज–पत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **निर्वचन.**– (1) इन नियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(i) "अधिनियम" से राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 16) अभिप्रेत है;

(ii) "ग्राम सभा" से समस्त व्यक्तियों, जिनके नाम ग्राम स्तर पर पंचायत की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित है, को समाविष्ट करने वाली कोई ग्राम सभा अभिप्रेत है; और

340

(iii) "गौण वन उपज" गौण वन उपज के अन्तर्गत बांस, शाखाकाष्ठ, पेड के ठूंठ, केन, दरार, कीटकोप, शहद, मोम, लैक्स, तेन्दु और केन्दु की पत्तियां, औषधीय पौधों और शाक, जडों और रादृश को सम्मिलित करते हुए पादप मूल के समस्त गैर–इमारती काष्ठ वन उपज है ।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नही किंये गये समस्त शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हे कमश. अधिनियम में समनुदिष्ट है ।

अध्याय 2
ग्राम सभा

3. संरचना – किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित समस्त व्यक्ति उस ग्राम की ग्राम सभा के सदस्य होंगे ।

4. ग्राम सभा का सचिव.– (1) ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम सभा का सचिव होगा । ऐसी स्थिति में जहां किसी ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम सभाएं हों वहां ग्राम पंचायत का सचिव समस्त ग्राम सभाओं का सचिव होगा ।

(2) ग्राम पंचायत के सचिव की अनुपस्थिति में, संबंधित पंचायत समिति का विकास अधिकारी किसी सरकारी सेवक को ग्राम पंचायत के सचिव के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नामनिर्देशित करेगा ।

(3) सम्बन्धित ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यपालिका अभिकरण होगी

5. ग्राम सभा की बैठकें.– (1) ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक या कार्यवाही जनता के बीच संचालित की जायेगी ।

(2) यदि ग्राम सभा की कोई बैठक किसी बन्द भवन में की जानी है तो वहां दरवाजे बन्द करने या ग्राम सभा के सदस्यों के प्रवेश का प्रतिषेध करने का कोई उपबन्ध नही होगा ।

(3) यथासंभव, ग्राम सभा के विनिश्चय सर्वसम्मति से लिए जायेंगे ।

टिप्पण.– "सर्वसम्मति" से उपस्थित व्यक्ति या तो प्रस्ताव से सहमत या तटस्थ है, और उनमें से कोई भी विरोध में नही है, अभिप्रेत है । सर्वसम्मति के लिए बैठक की गणपूर्ति अनिवार्य है ।

(4) यदि किसी बैठक में किसी विवाद्यक पर सर्वसम्मिति होना सुनिश्चित न हो तो ऐसे विवाद्यक पर एक सप्ताह पश्चात् या बाद में होने वाली बैठक, जैसा ग्राम सभा द्वारा विनिश्चित किया जाये, में चर्चा की जायेगी ।

(5) यदि दूसरी बैठक में भी सर्वसम्मति नहीं हो पाती है तो बहुमत के आधार पर विनिश्चय लिया जायेगा । गणपूर्ति के अभाव में कोई विनिश्चिय नही लिया जायेगा । विवाद्यक तत्पश्चात् बहुमत द्वारा विनिश्चित किया जा सकेगा जब कभी गणपूर्ति पूर्ण हो ।

(6) सम्बन्धित पंचायत समिति के विकास अधिकारी का नामनिर्देशिती ग्राम सभा की बैठक में हाजिर हो सकेगा । वह ग्राम सभा के सचिव द्वारा

ऐसी बैठकों के कार्यवृत के सही अभिलेखन के लिए उत्तरदायी होगा। बैठक की समाप्ति पर कार्यवृत पढ़कर सुनाया जायेगा और बैठक में उपस्थित ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित और हस्ताक्षरित किया जायेगा। इस प्रकार अभिलिखित कार्यवृत की एक प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भेजी जायेगी।

6. **गणपूर्ति**.– ग्राम सभा की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या का दसवां भाग होगी।

7. **पीठासीन अधिकारी**.– ग्राम सभा की बैठक को अध्यक्षता सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा, उसकी अनुपस्थिति में उप–सरपंच द्वारा की जायेगी। सरपंच और उप–सरपंच दोनों की अनुपस्थिति में, बैठक की अध्यक्षता बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से इस प्रयोजन के लिए निर्वाचित किये जाने वाले ग्राम सभा के किसी सदस्य द्वारा की जायेगी।

8. **ग्राम सभा की बैठक की तारीख और समय**.– (1) सरपंच या उसकी अनुपस्थिति में ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा की बैठक बुलायेगा।

(2) ग्राम सभा बैठक के दिन और समय के साथ ही उसमें किये जाने वाले कारबार का कथन करते हुए नोटिस–

(i) ग्राम में एक या अधिक सहजदृश्य स्थानों पर उसे चस्पा कर; और

(ii) ऐसी बैठक की ग्राम में डोंडी पिटवाकर या किसी ध्वनि विस्तारक युक्ति द्वारा घोषणा कर,

बैठक के दिन के कम से कम सात दिन पहले प्रकाशित किया जायेगा।

(3) ग्राम सभा वर्ष की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बैठक आयोजित करेगी, ग्राम सभा स्थायी रूप से बैठक की किसी नियत तारीख (अंग्रेजी तारीख), समय और स्थान का विनिश्चय कर सकेगी और ऐसी स्थिति में, कोई विनिर्दिष्ट नोटिस अपेक्षित नहीं होगा।

(4) तथापि, यदि ग्राम सभा प्रत्येक बैठक पृथकतः नियत करने का विनिश्चय करती है, या किसी विशिष्ट दिन बैठक आयोजित करने का विनिश्चय करती है तो सम्पूर्ण ग्राम में घोषणा की जायेगी।

9. **ग्राम सभा की विशेष बैठक**.– (1) ग्राम सभा की नियमित बैठकों के अलावा, निम्नलिखित परिस्थितयों में उसकी विशेष बैठक बुलायी जा सकेगी :–

(i) यदि ग्राम सभा की साधारण बैठक में इस प्रकार विनिश्चित किया गया है;

(ii) यदि पंचायत के पास कोई प्रस्ताव है जिस पर ग्राम सभा द्वारा विचार किये जाने की आवश्यकता है;

(iii) ग्राम सभा के कुल सदस्यों का कम से कम पांच प्रतिशत या 25 सदस्यों, इसमें से जो भी अधिक हो, द्वारा सचिव को दी गयी लिखित सूचना के आधार पर ।

(2) उप नियम (1) के खण्ड (i) में उल्लिखित स्थिति के सिवाय, सचिव सरपंच के साथ परामर्श करने के पश्चात् सात दिन के भीतर बैठक बुलायेगा, और उसकी लोक सूचना नियत तारीख से तीन दिन पूर्व लोक घोषणा और अन्य रीतियों के माध्यम से ग्राम में दी जायेगी :

परन्तु यदि सरपंच ऐसा करने में विफल रहता है तो सचिव बैठक बुलायेगा:

परन्तु यह और कि सचिव की अनुपस्थिति या एक सप्ताह के भीतर बैठक आयोजित करने की कार्रवाई में कमी की दशा में, उन व्यक्तियों, जिन्होने बैठक आयोजित करने के लिये लिखित में अनुरोध किया है, में से तीन सदस्य सरपंच को सूचित कर और कम से कम तीन दिन का नोटिस देकर बैठक आयोजित कर सकेंगे ।

(3) किसी विशिष्ट बैठक में लिये गये बिनिश्चयों को अगली बैठक के सिवाय कही पर भी चुनौती नहीं दी जायेगी और ग्राम सभा के विनिश्चय अंतिम होंगे ।

10. ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठकें. – (1) प्रत्येक ग्राम सभा अपनी अधिकारिता के भीतर अपने कृत्यों का निष्पादन करने के लिए सक्षम है किन्तु स्त्रोतों के प्रबन्धन, सड़कों के विनिर्माण इत्यादि जैसे मामलों में जिनमें अन्य ग्राम सभाओं के साथ समन्वय अपेक्षित हो, वहां ग्राम पंचायत की अधिकारिता के अधीन आने वाली समस्त ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक सचालित की जा सकती है ।

(2) ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक ग्राम सभा के नियमों के अनुसार संचालित की जायेगी मानों समस्त ग्राम सभाएं एकल सत्ता हो ।

(3) संयुक्त बैठक की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जायेगी ।

(4) संयुक्त बैठक में, प्रत्येक ग्राम सभा से सदस्यों के न्यूनतम 5 प्रतिशत या 10 सदस्यों, इनमें से जो भी कम हो, की उपस्थिति अनिवार्य होगी । गणपूर्ति नही होने की दशा में बैठक की अगली तारीख उसी दिन निश्चित की जायेगी और उससे समस्त ग्राम सभाओं को सूचित किया जायेगा ।

(5) विनिश्चय करने की प्रकिया वही होगी जैसी एकल ग्राम सभा बैठक में होती है ।

(6) ग्राम पंचायत में सरकारी कार्यकमों के लिए क्षेत्रवार आंवटन संयुक्त बैठकों में किया जायेगा जिसके लिए प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा किये जायेंगे । ग्राम सभा की संयुक्त बैठक के विनिश्चय अंतिम होंगे ।

अध्याय 3

शान्ति, सुरक्षा और विवाद सुलझाना

11. शान्ति बनाये रखने और विवाद सुलझाने में ग्राम सभा की भूमिका .– (1) सामुदायिक परम्पराओं और भारत के संविधान, विधि और सुसंगत नियमों की भावना को ध्यान में रखते हुए ग्राम सभा का उसके क्षेत्र में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखना मूल कर्तव्य होगा ।

(2) ग्राम सभा उसके क्षेत्र में निम्नलिखित कार्रवाई/कार्य करने के लिए सक्षम होगी :–

(i) वहां शान्तिपूर्ण वातावरण बनाये रखे जहां कोई भय न हो,

(ii) आत्म सम्मान की रक्षा करे और प्रत्येक नागरिक के अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य को बनाये रखे, और

(iii) विवादों को सुलझाये ।

12. शान्ति समिति .– (1) ग्राम सभा बीस सदस्यों वाली, जिसमें कम से कम 33 प्रतिशत महिलाएं और न्यूनतम 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियां के होंगे, एक शान्ति समिति का गठन कर सकेगी ।

(2) शांति समिति आसपास के ग्रामों के साथ अच्छें सम्बन्ध बनाये रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि सामान्य हितों और आसपास के ग्रामों के अन्योन्याश्रय के मामलों में की गयी कोई कार्रवाई आसपास के ग्रामों के साथ परामर्श पर आधारित हो।

(3) ग्राम सभा शांति समिति को निम्नलिखित के लिए सशक्त कर सकेगी:–

(i) उन घटनाओं की जांच करना जिससे ग्राम की शांति भंग होती है और विनिश्चय के लिए ग्राम सभा को रिपोर्ट करना,

(ii) जो शांति भंग करतें है उन्हें परामर्श देना और मध्यस्थता करना,

(iii) वहां तुरन्त कार्रवाई करना जहां आवश्यक हो, और तत्पश्चात् ग्राम सभा को रिपोर्ट करना,

(iv) ग्राम सभा के अनुमोदन से, उपयुक्त कार्रवाई के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट/अनुरोध करना ।

13. अन्धविश्वास और भूतसिद्धि इत्यादि से संबंधित मामले .– (1) अन्धविश्वास, भूतसिद्धि और जादू सम्बन्धी मामलों पर ग्राम सभा की खुली बैठक में विचार विमर्श किया जायेगा।

(2) अन्धविश्वास के मामलों में ग्राम सभा की दो लगातार बैठकों में चर्चा की जायेगी ताकि प्रत्येक व्यक्ति को मामले पर विचार करने का अवसर प्राप्त हो।

(3) जब ऐसे मामलों पर चर्चा हो तब ग्राम सभा का कोई भी सदस्य जिला कलक्टर से किसी प्रेक्षक की उपस्थिति के लिए अनुरोध कर सकेगा। ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर जिला कलक्टर किसी प्रेक्षक की प्रतिनियुक्ति करेगा।

3५५

(4) प्रेक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह मामले के बारे में तथ्यात्मक और वैज्ञानिक जानकारी ग्राम सभा को उपलब्ध कराये ।

14. **विवाद सुलझाने की प्रकिया** .– (1) किसी विवाद को सुलझाने के दौरान, ग्राम सभा या शान्ति समिति प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, अपनी परम्परा के अनुसार कार्रवाई करेगी।

(2) किसी विवाद की सुनवाई केवल जनता के बीच होगी। अंतिम विनिश्चय पर पहुंचने से पूर्व, सम्बन्धित समस्त पक्षकारों के व्यक्तियों और कार्यवाही में सक्रिय रूप से अन्तर्वलित अन्य व्यक्ति, यदि कोई हो, को उनके विचार अभिव्यक्त करने का पर्याप्त अवसर दिया जायेगा।

(3) समस्त व्यक्तियों के विचार सुनने के पश्चात्, शान्ति समिति ग्राम सभा को आगे और कार्रवाई करने के लिए अपने प्रस्ताव के निष्कर्ष पर पहुँचेगी।

(4) ग्राम सभा के समस्त सदस्यों के पास शान्ति समिति के निष्कर्षों और प्रस्तावों पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर होगा।

(5) ग्राम सभा के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, शान्ति समिति, समुचित संशोधन, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, पुनः ग्राम सभा को अपने निष्कर्ष और प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी और उसे सर्वसम्मति, या यथास्थिति, बहुमत के आधार पर ग्राम सभा के विनिश्चय के रूप में स्वीकार किया जायेगा।

(6) यदि शान्ति समिति के निष्कर्ष या प्रस्ताव ग्राम सभा में बहुमत प्राप्त नहीं करतें हैं तो पक्षकारों के साथ अनौपचारिक वार्ता करने के पश्चात्, शान्ति समिति मामले को ग्राम सभा की अगली बैठक में पुनः प्रस्तुत करेगी और ग्राम सभा का विनिश्चय अंतिम होगा।

(7) किसी विवाद को सुलझाने का मुख्य उद्देश्य ऐसे विवाद को पूर्णरूप से समाप्त करना और ग्राम में समरसता का वातावरण बनाना है।

15. **विवाद सुलझाने के संबंध में ग्राम सभा के विनिश्चय से असन्तुष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा कार्रवाई** .– यदि ग्राम सभा के किसी विनिश्चय से प्रभावित कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह यह महसूस करता है कि उसके/उनके अधिकारों का कोई अतिक्रमण हुआ है और अपराध कारित किया गया है, प्रभावित व्यक्ति पुलिस थाने में रिपोर्ट रजिस्टर कराता है तब ऐसे मामलों में, सम्बन्धित अधिकारी विनिश्चय के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी के लिए ग्राम सभा या शान्ति समिति से सम्पर्क करेगा।

16. **पुलिस की भूमिका** .– (1) यदि स्थानीय पुलिस को किसी ग्राम सभा के क्षेत्र में शान्ति विछिन्न करने की किसी संभावना के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होती है तो सिवाय उन मामलों के जिनमें पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई अनिवार्य है, सम्बन्धित पुलिस अधिकारी ग्राम सभा को या शान्ति समिति को मामले की विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगा। ऐसे मामलों में

माध्यस्थम् या किसी व्यक्ति के विरूद्ध निवारक उपाय केवल ग्राम सभा के साथ परामर्श से लिये जायेंगे।

(2) यदि पुलिस को किसी अपराध के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होती है तो सिवाय गम्भीर अपराध की दशा में या किसी असाधारण स्थिति में जहां पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई अपेक्षित है, पुलिस थाने में रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने के पश्चात्, उसकी एक प्रति ग्राम सभा या शान्ति समिति को भेजी जायेगी। यदि आवश्यक हो तो ग्राम सभा की विशेष बैठक में या उसकी आगामी बैठक में मामले को सुलझाने का प्रयास किया जायेगा।

टिप्पण :– उन अपराधों को गम्भीर माना जायेगा जिनके लिए भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में दो या अधिक वर्ष के दण्ड का उपबन्ध है।

अध्याय–4

सामुदायिक स्त्रोतों का प्रबन्धन

17. ग्राम सभा का सामुदायिक स्त्रोतों की सुरक्षा करना .– (1) ग्राम सभा उसके क्षेत्र में अवस्थित सामुदायिक स्त्रोतों के साथ ही जल, भूमि और खनिज को सम्मिलित करते हुए उनको, जिन पर वह परम्परागत अधिकारों का उपभोग करती है, स्थानीय परम्परा और सुसंगत विधियों के अनुसार सुरक्षित और परिरक्षित रखने में सक्षम है। इस भूमिका को पूरा करने के लिए, ग्राम सभा उनके प्रबन्धन के लिए सक्रिय भूमिका निभा सकेगी।

(2) ग्राम्म सभा यह सुनिश्चित करेगी कि स्त्रोतों का उपभोग इस प्रकार हो कि:

(i) जीविका के साधन पोषित हो,

(ii) लोगों के बीच असमानता में वृद्धि न हो,

(iii) स्त्रोत केवल कुछ लोगों तक सीमित न हो, और

(iv) पोषणीयता को ध्यान में रखते हुए, स्थानीय स्त्रोतों का पूर्ण उपभोग हो।

अध्याय–5

भूमि का अधिग्रहण, भूमि के अन्यसंक्रामण को रोकने की शक्ति, उधार पर धन देने पर नियन्त्रण

18. ग्राम सभा के साथ परामर्श .– (1) जब सरकार किसी अधिनियम के अधीन भूमि का अधिग्रहण करने का विचार करती है तब सरकार या सम्बन्धित प्राधिकारी ग्राम सभा को प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित लिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:–

(i) परियोजना के संभावित समाघात के साथ प्रस्तावित परियोजना की समपूर्ण रूपरेखा;

(ii) प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण;

346

(iii) ग्राम में बसने वाले संभावित नये लोग और क्षेत्र और समाज पर संभावित समाघात; और

(iv) ग्राम के लोगों के लिए प्रस्तावित भागीदारी, प्रतिकर की रकम, रोजगार के अवसर।

(2) सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के पश्चात, सम्बन्धित ग्राम सभाएं प्राधिकरणों और सरकार के प्रतिनिधियों को या तो व्यक्तिशः या संयुक्त रूप से इनका परीक्षण करने के लिए बुलाने को सक्षम होंगी। ऐसे बुलाये गये समस्त व्यक्तियों के लिए बिन्दुवार और सही जानकारी देना अनिवार्य होगा।

(3) ग्राम सभा समस्त तथ्यों पर विचार करने के पश्चात्, प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण और विस्थापित व्यक्तियों के पुर्नवास योजना के सम्बन्ध में सिफारिश करेगी।

(4) ग्राम सभा की सिफारिश पर सरकार या सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा विचार किया जायेगा।

(5) यदि सरकार या सम्बन्धित प्राधिकारी ग्राम सभा की सिफारिश से सहमत नहीं है तो वह / वे मामले को पुनर्विचार के लिए ग्राम सभा को पुनः भेज देगा/देंगे।

(6) यदि दूसरे परामर्श के पश्चात्, सरकार या सम्बन्धित प्राधिकारी ग्राम सभा की सिफारिशों के विरूद्ध कोई आदेश पारित करता है तो ऐसा करने के लिए लिखित में कारण अभिलिखित करेगा।

(7) औद्योगिक परियोजनाओं की दशा में, ऐसी समस्त ग्राम सभाओं से जो ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित है, परामर्श किया जायेगा।

19. **भूमि अन्यसंक्रामण रोकना** .– ग्राम सभा यह सुनिश्चित करेगी कि अनुसूचित जनजातियों की कोई भूमि गैर–अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अन्तरित न हो।

20. **बेदखली की शक्तियां** .– अनुसूचित क्षेत्र में किसी अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा धारित भूमि से अतिचारियों की संक्षिप्त बेदखली के लिए राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955(1955 का अधिनियम संख्या 3) की धारा 183 ख के अधीन तहसीलदार की शक्तियां पंचायत समिति द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) के अधीन उपबन्धो के अनुसार प्रयोग में ली जायेंगी।

21. **उधार पर धन देने पर नियन्त्रण** .– पंचायत/पंचायत समिति अनुसूचित क्षेत्रों में उधार पर धन देने के कारबार को राजस्थान साहूकार अधिनियम, 1963 (1964 का अधिनियम संख्या 1) के उपबन्धों के अनुसार निर्बन्धित और विनियमित करने के लिए सक्षम होगी।

22. **सहायक रजिस्ट्रार के रूप में पंचायत की शक्तियां** .– (1) ग्राम पंचायत राजस्थान साहूकार अधिनियम, 1963 (1964 का अधिनियम

संख्या 1) के उपबन्धों के अनुसार सहायक रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगी।

(2) किसी अनियमितता या नियमों के अननुपालन की दशा में, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, पंचायत समिति को जुर्माना अधिरोपित करने के लिए या अनुज्ञप्ति रद्द करने के लिए, या यथास्थिति, न्यायालय में केस फाईल करने के लिए सिफारिश करते हुए लिखित शिकायत भेजेगी।

23. रजिस्ट्रार के रूप में पंचायत समिति की शक्तियाँ .– पंचायत समिति राजस्थान साहूकार अधिनियम, 1963 (1964 का अधिनियम संख्या 1) के उपबन्धों के अनुसार रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगी।

24. महारजिस्ट्रार के रूप में आयुक्त जनजाति क्षेत्र विकास की शक्तियाँ .– आयुक्त जनजाति क्षेत्र विकास, राजस्थान साहूकार अधिनियम, 1963 (1964 का अधिनियम संख्या 1) के उपबन्धों के अनुसार महारजिस्ट्रार की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।

अध्याय–6

गौण वन उपज

25. गौण वन उपजः– ग्राम सभा उसकी अधिकारिता के भीतर आने वाले गौण वन उपज का, निम्नलिखित शर्तों के अध्ययधीन रहते हुए, स्वामी होगीः–

(i) गौण वन उपज के स्वामित्व में क्षेत्र में की भूमि, वृक्ष और/या में पाये जाने वाले वन्य जीवन का स्वामित्व सम्मिलित नहीं है;

(ii) कोई व्यक्ति वन भूमि के किसी भी भाग से ऐसी घास नहीं काटेगा जो घास कटाई के लिए बंद है;

(iii) वन भूमि से घास 1 अक्टूबर से 31 जनवरी तक के सिवाय वर्ष की किसी कालावधि में नहीं काटी जायेगी;

(iv) कोई व्यक्ति वन के ऐसे भागों में, जो समय–समय पर खण्ड वन अधिकारी द्वारा चराई के लिए खोले जाये, के सिवाय पशु नहीं चरायेगा;

(v) कोई व्यक्ति गौण वन उपज के स्वामित्व अधिकारों का उपभोग करने के दौरान किसी खड़े पेड़ को गिरायेगा नहीं, जड़ से नहीं उखाड़ेगा, छेदेगा नहीं, तार की जाली से आच्छादित नहीं करेगा, आरा नहीं चलायेगा या परिमणित नहीं करेगा;

(vi) कोई गौण वन उपज वन भूमि से सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पूर्व तब तक हटाई नहीं जायेगी जब तक कि खण्ड वन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्टतः अनुज्ञात न किया गया हो;

(vii) कोई व्यक्ति प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई से 30 सितम्बर तक की कालावधि के दौरान वन भूमि के 200 मीटर के भीतर कोई

आग नहीं जलायेगा, नहीं रखेगा, या नहीं ले जायेगा, जब तक कि ऐसा खण्ड वन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्टतः अनुज्ञात न किया जाये; और

(viii) कोई गौण वन उपज, मुख्य वन्यजीव वार्डन की विनिर्दिष्ट अनुज्ञा के बिना, संरक्षित क्षेत्रों, अभ्यारण्यों, राष्ट्रीय पार्कों, संरक्षित रिजर्व, सामुदायिक रिजर्व या क्रिटिकल टाईगर हेबीटेट से हटाई नहीं जायेगी;

26. गौण वन उपज का संग्रहण और विपणन .– (1) बांस और तेन्दुपत्ता से भिन्न गौण वन उपज के संग्रहण और विपणन का जिम्मा निम्नानुसार लिया जायेगाः–

(i) ग्राम सभा उसके क्षेत्र से समस्त गौण वन उपज के, ग्राम वन संरक्षण और प्रबंधन समिति (ग्रा.व.सं.प्र.स.) या राजस संघ या इस प्रयोजन के लिए गठित सहकारी समितियों के माध्यम से, संग्रहण कराने के लिए उत्तरदायी होगी;

(ii) ग्राम सभा पंचायत और वन विभाग के साथ ग्रा.व.स.प्र.स. द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार गौण वन उपज के संग्रहण को सुनिश्चित करेगी;

(iii) ग्राम सभा उसके क्षेत्र से गौण वन उपज के विपणन के लिए और उसके लाभों को बढाने के लिए उत्तरदायी होगी;

(iv) प्राप्त की गई शुद्ध राजस्व ग्राम सभा की होगी। ग्राम सभा इस राजस्व का सामुदायिक संवर्गों का जिम्मा लेने के लिए और गौण वन उपज के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगी;

(v) ग्राम सभा उसके क्षेत्र से संगृहीत गौण वन उपज का, राजस संघ द्वारा नियत न्यूनतम सर्मथन मूल्य पर, राजस संघ को विक्रय करने का विनिश्चय कर सकेगी; और

(vi) राजस संघ द्वारा गौण वन उपज के क्रय के लिए न्यूनतम सर्मथन मूल्य नियत करने के लिए गठित समिति में पंचायत राज संस्था का प्रतिनिधित्व होगा।

(2) बांस के संग्रहण और विपणन का जिम्मा निम्नानुसार लिया जायेगाः–

(i) बांस की नाले उनके पुष्पन काल के दौरान नहीं काटी जायेगी। उन्हें ग्राम सभा की अनुज्ञा से केवल बीजों के बिखरने के पश्चात् ही काटा जा सकता है;

(ii) बांस के प्रत्येक पुंज में कम से कम 3 या 4 पुराने, मजबूत और अच्छे विकसित बांस बिना गिराये और पुज की बाहरी परिधि के साथ बराबर दूरी पर छोड़े जायेंगे;

(iii) बांस प्रकन्द की खुदाई और निस्सारण प्रतिषिद्ध होगा;

(iv) बांस पुंज जमीन के ऊपर से 2 इंच से कम और 6 इंच से अधिक नहीं काटा जायेगा सिवाय घने पुंजों की दशा मे जहां कटाई सर्वोत्तम संभव सिरों तक की जा सकेगी;

(v) बांस नालों को विदीर्ण होने से बचाने के लिए बांस पुंजों की कटाई में धारदार उपकरण प्रयोग में लाये जाने चाहिए ;

(vi) बांसों की, ग्राम सभा के लिए वन विभाग द्वारा गैर–क्षयकारी और रक्षणीय आधार पर, वैज्ञानिक रूप से निरन्तर पैदावार की जायेगी;

(vii) जहां कहीं ग्रा.व.सं.प्र.स. विद्यमान है और अनुसूचित क्षेत्रों में बास रोपण का जिम्मा लिया है, वे वन विभाग के पर्यवेक्षण के अधीन वैज्ञानिक रूप से इसकी पैदावार कर सकेंगे और उपज को बाजार से अधिकतम फायदा प्राप्त करने के लिए नीलाम करने के लिए वन विभाग के डिपों को परिवहित कर सकेंगे;

(viii) फसल और परिवहन पर उपगत व्ययों को घटाने के पश्चात्, वन विभाग शुद्ध आगम संबंधित पचायत, जिसके क्षेत्र से बांस की फसल हुई है, को अन्तरित कर देगा; और

(ix) बांस की फसल से प्राप्त राजस्व ग्राम सभा द्वारा समुदाय के विकास और बांस की प्रवृद्धि पर खर्च किया जायेगा।।

(3) तेन्दुपत्ता के संग्रहण और विपणन का जिम्मा निम्नानुसार लिया जायेगाः–

(i) तेन्दुपत्ते का व्यापार राजस्थान तेन्दुपत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम संख्या 5) द्वारा शासित है;

(ii) तेन्दुपत्ता वन विभाग द्वारा राजस्थान तेन्दुपत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम संख्या 5) के अनुसार निरन्तर संग्रहीत किया जायेगा;

(iii) तेन्दुपत्ता के संग्रहण से प्राप्त शुद्ध राजस्व संबंधित पंचायत, जिसके क्षेत्र से तेन्दुपता संग्रहीत किया गया है, को उसके क्षेत्र से तेंदुपत्ता के उत्पादन के अनुपात में अन्तरित किया जायेगा;

(iv) विभिन्न ग्राम सभाओं से संग्रहीत तेन्दुपत्ता के ब्यौरे, वन विभाग द्वारा गठित सलाहकार समिति द्वारा परिनिश्चित प्रक्रिया के अनुसार, वन विभाग द्वारा राज्य सरकार, को उस दर पर जिस पर

तेंदुपत्ता प्रतिवर्ष संग्रहीत किया जाता है, सलाह देने लिए संकलित किये जायेंगे;

(v) ग्राम सभा इस राजस्व का 50 प्रतिशत उपयोग अवसंरचना विकास के लिए और शेष 50 प्रतिशत उसके क्षेत्र में तेंदुपत्ता के उत्पादन की वृद्धि के लिए अपेक्षित सांस्कृतिक संक्रियाओं पर करेगी; और

(vi) वन विभाग की सलाहकार समिति में आवश्यक रूप से पंचायती राज विभाग का प्रतिनिधित्व होगा।

अध्याय-7
गौण खनिजों पर नियंत्रण

27. सिफारिश करने का प्राधिकार .– किसी गौण खनिज के संबंध में किसी खनिज रियायत की मंजूरी के लिए सिफारिश:–

(क) संबंधित ग्राम सभा द्वारा, जहाँ क्षेत्र किसी एकल ग्राम पंचायत की अधिकारिता के भीतर आता है; या

(ख) संबंधित पंचायत समिति द्वारा, जहाँ क्षेत्र एक से अधिक ग्राम पंचायतों की अधिकारिता के भीतर आता है; या

(ग) संबंधित जिला परिषद द्वारा, जहाँ क्षेत्र एक से अधिक पंचायत समितियों की अधिकारिता के भीतर आता है,

की जायेगी।

28. सिफारिश अभिप्राप्त करने के लिए प्रक्रिया .– (1) संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता, ऊपर नियम 27 में यथाविनिर्दिष्ट सिफारिश करने वाले प्राधिकारी को राजस्व मानचित्र में अध्यारोपित क्षेत्र की योजना और सामीप्य में किसी नियत संदर्भ बिन्दु के साथ क्षेत्र के स्तम्भों में से एक स्तम्भ की दूरी और दिशाकोण वर्णित करते हुए विवरण रिपोर्ट के साथ प्रस्ताव भेजेगा।

(2) सिफारिश करने वाला प्राधिकारी प्रस्ताव पर विचार करेगा और प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर अपनी सिफारिश प्रेषित करेगा:

परन्तु यह कि सिफारिश करने वाला प्राधिकारी अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से प्रस्ताव को नामंजूर कर सकेगा और संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता को लिखित में संसूचित किया जायेगा।

अध्याय-8
मत्तता नियंत्रण

29. किसी मत्तता के विक्रय और उपभोग को विनियमित करना .– (1) ग्राम सभा, क्षेत्र में अवैध मदिरा के विनिर्माण या विक्रय में अन्तर्ग्रस्त अभिज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए, मद्यनिषेध को प्रोत्साहन देने और मदिरा की दुकानों का स्थान अन्य अभिज्ञात स्थानों पर स्थानान्तरित करने का संकल्प अंगीकार करेगी। ग्राम सभा के सदस्यों

351

द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित संकल्प की एक प्रति जिले के कलक्टर और आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर को अग्रेषित की जायेगी

(2) कलक्टर, तहसीलदार से अनिम्न रेंक के किसी वरिष्ठ अधिकारी या किसी अन्य समुचित अधिकारी को संकल्प की वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए प्रतिनियुक्त करेगा। इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी कलक्टर को अपनी रिपोर्ट देगा जो उसे अपनी टिप्पणी सहित आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर को भेजेगा।

(3) आबकारी आयुक्त, राजस्थान ग्राम सभा के क्षेत्र में संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा और ग्राम सभा को जिले के कलक्टर के माध्यम से सूचित करेगा।

(4) ग्राम सभा विशेष अवसरों जैसे, जन्म, नामकरण संस्कार, सगाई, विवाह, विवादों को सुलझाने के दौरान मृत्युभोज, होली और दीपावली त्योहारों और जनजाति समुदाय की परम्पराओं और रूढ़ियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे अन्य सामाजिक अवसरों पर ग्राम सभा के निवासियों द्वारा देशी मदिरा के कब्जे के लिए सीमाएं अधिकथित करने के लिए सक्षम होगी। ग्राम सभा कब्जे में रखे जाने वाली स्थानीय मदिरा की मात्रा और कब्जे की तारीखवार कालावधि विनिर्दिष्ट करेगी। साधारण अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

30. महिलाओं के विचारों का निर्णायक होना .- ग्राम सभा में उपस्थित महिला सदस्यों के विचार, ग्राम सभा के विचार माने जायेंगे और उन विचारों के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

31. जुर्माना और शास्तियां .- ग्राम सभा, समाज में मद्यपान की बुराइयों को निर्बन्धित करने को ध्यान में रखते हुए, लोक स्थानों में मादक द्रव्य लेने में, मत्त अवस्था में महिलाओं के साथ झगड़ा करने में, पत्नियों को पीटने इत्यादि में स्वयं को संलिप्त करने वाले व्यक्तियों पर उपयुक्त जुर्माना उद्ग्रहण करने के लिए संकल्प पारित कर सकेगी।

32. कठिनाईयों का निराकरण .- यदि इन नियमों के उपबंधो के प्रभावी कियान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार आदेश जारी करके ऐसे निदेश देगी जो अधिनियम के उपबन्धों के अनुकूल हों और जो ऐसी कठिनाईयों को दूर करने के लिए आवश्यक समझें जायें।

33. निरसन और व्यावृत्तियां .- राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) नियम, 2002 इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई समस्त कार्रवाइयां या किये गये आदेश इन नियमों के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

[एफ 4 (6)पीसारूल्स / लीगल / पी. आर / 10 / 1938]

राज्यपाल के आदेश से,
किशनलाल बाडेटिया,
शासन उप सचिव,

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
(DEPARTMENT OF PANCHAYATI RAJ)
NOTIFICATION

Jaipur, November 1, 2011

G. S R. 85 - In exercise of the powers conferred by section 4 read with section 3 of the Rajasthan Panchayati Raj (Modification of Provisions in their Application to the Scheduled Areas) Act, 1999 (Act No.16 of 1999) and all other powers enabling it in this behalf, the State Government hereby makes the following rules, namely:-

CHAPTER –I
PRELIMINARY

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Modification of Provisions in their Application to the Scheduled Areas) Rules, 2011.

(2) They shall extend to the scheduled areas of Rajasthan as referred to in clause (1) of Article 244 of the Constitution of India except those areas which are administered by a municipality.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Interpretation.- (1) In these rules, unless the subject or the context otherwise requires,-

(i) **"Act"** means the Rajasthan Panchayati Raj (Modification of Provisions in their Application to the Scheduled Areas) Act, 1999 (Act No.16 of 1999);

(ii) **"Gram Sabha"** means a village assembly, comprising all persons whose names are included in the electoral rolls for the Panchayat at the village level; and

(iii) **"Minor Forest Produce"** means Minor Forest Produce includes all non-timber forest produce of plant origin including bamboo, brush wood, stumps, cane, tussar, cocoons, honey, wax, lax, tendu or kendu leaves, medicinal plants and herbs, roots, tubers and the like.

(2) All words and expressions used but not defined in these rules have the same meanings as are respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER-II
GRAM SABHA

3. Composition.- All the people included in the electoral rolls of a village shall be the members of the Gram Sabha of that Village.

4. Secretary of Gram Sabha.-(1) Secretary of Gram Panchayat shall be the Secretary of the Gram Sabha. In a situation where there are more than one Gram Sabhas in a Gram Panchayat, the Secretary of the Gram Panchayat shall be the Secretary of all the Gram Sabhas.

(2) In absence of the Secretary of Gram Panchayat, the Vikas Adhikari of the Panchayat Samiti concerned shall nominate a Government servant to perform the duty of Secretary of Gram Sabha.

(3) Gram Panchayat concerned shall be executive agency of the Gram Sabha.

5. Meeting of Gram Sabha.-(1)Every meeting or proceeding of the Gram Sabha shall be conducted in public.

(2) If a meeting of the Gram Sabha is to be held in a closed building, there shall be no provision of closing the doors or prohibiting entry to the members of the Gram Sabha.

(3) As far as possible, the decisions of the Gram Sabha shall be taken on consensus.

Note: 'Consensus' means the people present either agree with the proposal or are neutral, and none of them is in opposition. Quorum of the meeting is compulsory for a consensus.

(4) In case consensus not being assured at any issue in a meeting, such issue shall be discussed in the meeting to be held after one week or later, as decided by the Gram Sabha.

(5) If there is no consensus in the second meeting also, a decision shall be taken on the basis of majority. In the absence of quorum no decision shall be taken. The issue may subsequently be decided by a majority whenever the quorum is complete.

(6)The nominee of Vikas Adhikari of the Panchayat Samiti concerned shall attend meeting of Gram Sabha. He shall be responsible for correct recording of the minutes of such meetings by the Secretary of the Gram Sabha. The minutes shall be read out at the end of the meeting and shall be approved and signed by members of the Gram Sabha present in the meeting. A copy of the minutes so recorded shall be sent to the Gram Panchayat concerned.

354

6. Quorum.- The quorum of a meeting of the Gram Sabha shall be one-tenth of the total number of members.

7. Presiding Officer.-The meeting of the Gram Sabha shall be presided over by the Sarpanch of Gram Panchayat concerned, in his absence by the Up-Sarpanch. In the absence of both the Sarpanch and the Up-sarpanch, meeting shall be presided over by a member of the Gram Sabha to be elected for the purpose by a majority of the members present in the meeting.

8. Date and time of meeting of Gram Sabha.- (1) The Sarpanch or in his absence, the Secretary of the Gram Sabha shall convene meeting of Gram Sabha.

(2) Notice of the day and hour of Gram Sabha meeting, as also stating the business to be transacted thereat, shall be published at least 7 days previous to the day of the meeting, by:-

(i) affixing the same at one of more conspicuous places in village ; and

(ii) making an announcement of such meeting by beat of drum or any sound amplifying device in village.

(3) The Gram Sabha hold a meeting at least once in each quarter of the year, the Gram Sabha may decide a fixed date (means English Date) time and place of the meeting permanently and in such case, no specific notice shall be required.

(4) However, if the Gram Sabha decides to fix each meeting separately, or decides to hold a meeting on a particular day, within three days of the decision, an announcement shall be made in the whole village.

9. Special meeting of Gram Sabha.-(1) Apart from its regular meetings, in the following circumstances special meetings of the Gram Sabha may be convened:

(i) if it is so decided in the general meeting of the Gram Sabha.

(ii) if there is a proposal in the Panchayat which needs to be considered by the Gram Sabha,

(iii) on the basis of the written information given to the Secretary by at least 5 percent of total members of Gram Sabha or 25 members, whichever is more.

(2) Except in situation mentioned in clause(i) of sub-rule(1), the Secretary shall call for a meeting within seven days after consulting the Sarpanch, and public information thereof shall be

given in the village 3 days prior to the fixed date through public announcement and other methods:

Provided that if the Sarpanch fails to do so, the Secretary shall call a meeting:

Provided further that, in the absence of Secretary or lack of action to hold a meeting within a week, three members from among the people who request in writing to organize a meeting may inform the Sarpanch and organize the meeting by giving notice of at least three days.

(3) The decisions taken in a particular meeting shall not be challenged anywhere else except in the next meeting and the decisions of the Gram Sabha shall be final.

10. Joint meetings of Gram Sabhas.-(1) Every Gram Sabha is competent to execute its functions in its jurisdiction, but in matters like management of resources, construction of roads etc. in which co-ordination with other Gram Sabhas is required, a joint meeting of all Gram Sabhas falling under the jurisdiction of the Gram panchayat can be conducted.

(2) The joint meeting of Gram Sabhas shall be conducted as per the rules of Gram Sabha as if all the Gram Sabhas were a single entity.

(3) The joint meeting shall be chaired by the Sarpanch.

(4) In the joint meeting, attendance of a minimum of 5% members or 10 members from each Gram Sabha, which ever is less, shall be mandatory. In case there is no quorum, the date of next meeting shall be finalized on the same day and same shall be informed to all Gram Sabhas.

(5) The decision making process shall be the same as in the case of a single Gram Sabha meeting.

(6) The area wise allocation for Government programes in the Gram Panchayat shall be made in joint meetings for which proposal shall be made by the Gram Panchayat. The decision of the joint meeting of the Gram Sabha shall be final.

CHAPTER-III

PEACE, SECURITY AND DISPUTE RESOLUTION

11. Role of Gram Sabha in maintaining peace and dispute resolution.-(1) In keeping with community traditions and the spirit of the Constitution of India, law and relevant rules, it shall be the fundamental duty of the Gram Sabha to maintain peace and order in its area.

(2) Gram Sabha is competent for the following action/works in its region:

(i) To maintain a peaceful atmosphere where there is no fear,

(ii) To safeguard self respect and maintain thefreedom of expression of every citizen and

(iii) Resolve disputes.

12.Peace Committee.-(1) The Gram Sabha may constitute a Peace Committee consisting twenty members, which shall have at least 33 % women, and minimum 50% Scheduled Tribes.

(2) The Peace Committee shall maintain a healthy relationship with the neighboring villages and ensure that in matters of common interest and interdependence of neighboring villages, any action taken shall be based on consultation with the neighboring villages.

(3) The Gram Sabha may empower the Peace Committee to:

(i) inquire into incidents that breach the peace of village and report to Gram Sabha for a decision.

(ii) counsel those breaking peace and arbitrate.

(iii) take immediate action where necessary, and subsequently report to Gram Sabha.

(iv) with the approval of the Gram Sabha make a report/ request to the Sub-Divisional Magistrate for suitable action.

13.Matters relating to superstition, sorcery etc.-(1) Matters related to superstition sorcery or magic shall be deliberated upon in open meeting of the Gram Sabha.

(2) The matters of superstition shall be discussed in two continuous meetings of the Gram Sabha so that everyone gets an opportunity to think over the matter.

(3) When such matters are discussed, any member of the Gram Sabha may make a request to the District Collector for the presence of an Observer. Upon receiving such a request, the District Collector shall depute an Observer.

(4) It shall be the duty of the Observer to provide factual and scientific information about the matter to the Gram Sabha.

14. Process of dispute resolution.-(1)While resolving a dispute, the Gram Sabha or the Peace Committee shall take action as per its tradition, keeping in mind the principles of natural justice.

(2)The hearing of any dispute shall take place only in public. Before arriving at the final decision, persons from all the parties

concerned and other people actively involved in the proceeding, if any, shall be given ample opportunity to express their views.

(3) After hearing the views of all the people, the Peace Committee, shall concludes its proposal for further action to the Gram Sabha.

(4) All the members of Gram Sabha shall have an opportunity to give their views on the conclusions and proposals of the Peace Committee.

(5) After getting the views of the Gram Sabha, the Peace Committee, after making appropriate amendments if any, shall present its conclusion and proposal to the Gram Sabha again and same shall be accepted as the decision of the Gram Sabha on the basis of consensus or a majority vote as the case may be.

(6) If the conclusions or proposals of the Peace Committee do not get a majority vote in the Gram Sabha, after having an informal talk with the parties, the Peace Committee shall, again present the matter in the next meeting of Gram Sabha and the decision of Gram Sabha shall be final.

(7) The main objective of resolution of any dispute shall be to eliminate completely such dispute and create an atmosphere of harmony in the village.

15. Action by a person or persons not satisfied with the decision of the Gram Sabha regarding dispute resolution.- If a person or a group of person affected by any decision of the Gram Sabha feels that there has been a violation of his/their rights and offence is committed, the affected person registers a report in the police station, then in such cases, the concerned officers shall contact the Gram Sabha or Peace Committee for full information regarding the decision.

16. Role of Police.-(1) If the local police receives information regarding a possibility of disruption of peace in the area of any Gram Sabha, then except in cases in which immediate action by the police is mandatory, the Police Officer concerned shall present a detailed report of the matter to the Gram Sabha or to the Peace Committee. Arbitration in such matters or preventive measures against any person shall be taken only with the consultation of the Gram Sabha.

(2) If the police receives information regarding any crime, then except in case of serious crime or in an extraordinary situation where immediate action by the police is required, after the report is registered in the police station, a copy of the same shall be sent to

Gram Sabha or Peace Committee. If necessary, an effort shall be made to resolve the matter in the Gram Sabha's special meeting or in its forthcoming meeting.

Note: Those crimes shall be considered to be serious, for which there is a provision of punishment of 2 or more years in the Indian Penal Code, 1860.

CHAPTER-IV
MANAGEMENT OF COMMUNITY RESOURCES

17. Gram Sabha to safeguard Community resources.-(1)The Gram Sabha is competent to safeguard and reserve the community resources located in its area as well as those over which it enjoys traditional rights including water, land and mineral as per local tradition and relevant laws. To fulfill this role, the Gram Sabha may play active role in their management.

(2) The Gram Sabha shall ensure that resources are utilized in such a way that :

(i) livelihood means are sustained,

(ii) inequality among the people does not increase,

(iii)resources are not confined to a few people, and

(iv)there is full utilization of local resources, in keeping with sustainability.

CHAPTER-V
ACQUISITION OF LAND, POWERS TO PREVENT ALIENATION OF LAND AND CONTROL OVER MONEY LENDING

18. Consultation with Gram Sabha.-(1) When the Government considers land acquisition under any Act, the Government or the authority concerned shall submit to the Gram Sabha the following written information along with the proposal:-

(i) The complete outline of the proposed project; including the possible impact of the project;

(ii) Proposed land acquisition;

(iii) New people likely to settle in the village and possible impact on the area and society; and

(iv) The proposed participation, amount of compensation, job opportunities, for the people of the village.

(2) After getting complete information the concerned Gram Sabhas shall be competent to summon representatives of the concerned authorities and the Government to examine them either individually or collectively. It shall be mandatory for all such

persons summoned to furnish point-wise clear and correct information.

(3) The Gram Sabha after considering all the facts, shall make a recommendation regarding the proposed land acquisition and rehabilitation plan of persons displaced.

(4) The recommendation of Gram Sabha shall be considered by the Government or the authority concerned.

(5) In case the Government or the authority concerned is not agree with the recommendations of Gram Sabha, it/they shall send the case again to the Gram Sabha for reconsideration.

(6) If after a second consultation, the Government or the authority concerned passes an order against the recommendations of the Gram Sabha, record the reasons for doing so in writing.

(7) In case of industrial projects, all the Gram Sabhas that are affected by such projects shall be consulted.

19. Prevention of land alienation.-The Gram Sabha shall ensure that no land belonging to Scheduled Tribe is transferred to non Scheduled Tribe persons.

20.Powers of ejectment.- The powers of the Tehsildar, under section 183B of the Rajasthan Tenancy Act, 1955(Act No. 3 of 1955) for summary ejectment of trespassers from the land held by a member of a Scheduled Tribe in the Scheduled Area, shall be exercised by the Panchayat Samiti, according the provisions under the Rajasthan Land Revenue Act, 1956(Act No. 15 of 1956).

21. Control over Money Lending.-Panchayat / Panchayat Samiti shall be competent to restrict and regulate business of money lending in Scheduled Area as per the provisions of the Rajasthan Money Lenders Act, 1963(Act No. 1of 1964);

22. Powers of Panchayat as Assistant Registrar.-(1)Gram Panchayat shall exercise all the powers of Assistant Registrar as per the provisions of the Rajasthan Money Lenders Act, 1963(Act No. 1of 1964);.

(2) In case of any irregularity or non-compliance of rules, Gram Sabha or Village Panchayat shall send a written complaint recommending to Panchayat Samiti for imposing fine or for cancellation of license or for filing a case in the court, as the case may be. Recommendation of Gram Sabha shall be binding on the Panchayat Samiti concerned.

23. Powers of Panchayat Samiti as Registrar.-Panchayat Samiti shall exercise all the powers of Registrar as per the

360

provisions of the Rajasthan Money Lenders Act, 1963(Act No. 1of 1964).

24. Power of Commissioner Tribal Area Development as Registrar General. Commissioner Tribal Area Development shall exercise all the powers of Registrar General as per the provisions of the Rajasthan Money Lenders Act, 1963(Act No. 1of 1964).

CHAPTER-VI

MINOR FOREST PRODUCE

25. Minor Forest Produce.-The Gram Sabha shall be the owner of minor forest produce falling within its jurisdiction subject to following conditions:

- (i) Ownership of minor forest produce does not include ownership of land, trees and/or wild life found in the area;
- (ii) No person shall cut grass from any part of the forest land which is closed to grass cutting;
- (iii) Grass from forest land shall not be cut in any period of the year except from 1st October to 31st January;
- (iv) No person shall graze cattle except in such parts of the forest as are opened from time to time for grazing by Divisional Forest Officer;
- (v) No person shall fell, uproot, tap, girdle, saw or convert any standing tree while enjoying the ownership rights of minor forest produce;
- (vi) No minor forest produce shall be removed from the forest land after sunset and before sunriseunless specifically permitted by Divisional Forest Officer;
- (vii) No person shall kindle, keep or carry any fire within 200 meter of the forest land during the period from 15th July to 30th September every year except as may be specifically permitted by Divisional Forest Officer;
- (viii) No minor forest produce shall be removed from the Protected Areas, Sanctuaries, National Parks,Conservation Reserves, Community Reserves, or Critical Tiger Habitats without specific permission of the Chief Wild Life Warden.

26. Collection and marketing of Minor Forest Produce.- (1)Collection and marketing of Minor Forest Produce other than Bamboo and Tendu Pata shall be undertaken as under:

- (i) Gram Sabha shall be responsible for organizing collection of all minor forest produce from its area through the

Village Forest Protection and Management Committee (VFPMC) or RAJAS Sangh or Cooperative Societies constituted for this purpose;

(ii) Gram Sabha shall ensure collection of minor forest produce in accordance with the Memorandum of Understanding signed by the VFPMC with the Panchayat and the Forest Department;

(iii) The Gram Sabha shall be responsible for the marketing of the minor forest produce from its area and optimizing its profits;

(iv) The net revenue obtained shall belong to Gram Sabha. The Gram Sabha shall be free to use this revenue for undertaking community works and for augmenting production of minor forest produce;

(v) Gram Sabha may decide to sell the minor forest produce collected from its area to RAJAS Sangh at minimum support price fixed by RAJAS Sangh; and

(vi) The Committee constituted for fixing minimum support price for purchase of minor forest produce by RAJAS Sangh shall have representation of the Panchayati Raj Institution.

(2) Collection and marketing of Bamboo shall be undertaken as under:

(i) Bamboo culms shall not be cut during the time of their flowering. They can be cut with permission of Gram Sabha only after the seeds have been shed;

(ii) In each clump of bamboo, at least 3 or 4 old, sound and well grown bamboos shall be left un-felled and evenly spaced along the outer periphery of the clump;

(iii) Digging and extracting of bamboo rhizomes shall be prohibited;

(iv) Bamboo clumps shall not be cut less than 2 inch or more than 6 inch above the ground except in the case of congested clumps where cutting may be done at the best possible point;

(v) Sharp implements must be used in cutting of bamboo clumps to avoid tearing of the culms;

(vi) Bambo shall continue to be harvested scientifically on a non-destructive and sustainable basis by the Forest Department for the Gram Sabha;

(vii) Wherever VFPMC exists and have undertaken bamboo planting in the Scheduled Area, they may harvest it scientifically under the supervision of Forest Department and transport the produce to Forest Department's depots for auction to derive maximum benefit of the market;

(viii) After deducting the expenses incurred on the harvest and transportation, the Forest Department shall transfer the net proceeds to the respective Panchayat from whose area bamboo has been harvested; and

(ix) The revenue received from bamboo harvesting shall be spent by Gram Sabha on development of community and regeneration of bamboo.

(3) Collection and marketing of Tendua Patta shall be undertaken as under:

(i) The trade of Tendu patta is governed by the Rajasthan Tendu Leaves (Regulation of Trade) Act, 1974(Act No.5 of 1974);

(ii) The Tendu patta shall continue to be collected by the Forest Department in accordance with the Rajasthan Tendu Leaves (Regulation of Trade) Act, 1974(Act No.5 of 1974);

(iii) The net revenue received from collection of tendu leaves shall be transferred to respective Panchayats from whose area tendu patta is collected in the ratio of production of Tendu Patta from its area;

(iv) The details of Tendu Patta collected from different Gram Sabha areas shall be compiled by the Forest Department in accordance with the procedure finalized by the Advisory Committee constituted by the Forest Department for advising the State Government on the rate at which tendu patta is collected every year;

(v) The Gram Sabha shall use 50% of this revenue for infrastructure development and rest 50% on cultural operations required for augmenting the production of tendu patta in its area; and

(vi) The Advisory Committee of the Forest Department shall necessarily have representation of Panchayati Raj Institutions.

CHAPTER-VII
CONTROL OVER MINOR MINERALS

27. Authority to make recommendation.- Recommendation for grant of any mineral concession in respect of a minor mineral shall be made by:-

(a) the Gram Sabha concerned, where the area falls within the jurisdiction of a single Gram Panchayat; or

(b) the Panchayat Samiti concerned, where the area falls within the jurisdiction of more than one Gram Panchayat; or

(c) the Zila Parishad concerned, where the area falls within the jurisdiction of more than one Panchayat Samiti.

28.Procedure for obtaining recommendation.- (1)The Mining Engineer/Assistant Mining Engineer concerned shall send proposal alongwith a plan of the area superimposed on the Revenue Map and description report mentioning distance and bearing of one the corner pillars of the area with a fixed reference point in the vicinity to the recommending authority, as specified in the rule 27 above.

(2) The recommending authority shall consider the proposal and convey its recommendation within 30 days from the date of receipt of the proposal:

Provided that the recommending authority may reject the proposal for reasons to be recorded and communicated in writing to the Mining Engineer/Assistant Mining Engineer concerned.

CHAPTER VIII
INTOXICATION CONTROL

29. Regulate sale and consumption of any intoxication.- (1) The Gram Sabha shall adopt resolution to encourage temperance or to shift the location of liquor shops to other identified place, to take action against the identified persons involved in manufacturing or selling of illicit liquor in the area. A copy of resolution dully signed by the members of Gram Sabha shall be forwarded to Collector of the District and Excise commissioner, Rajasthan, Udaipur.

(2) Collector shall depute a senior officer not below the rank of Tehsildar or any other appropriate officer to verify the genuineness of the resolution. Officer so deputed shall give his report to the Collector who shall move with his comments it to the Excise Commissioner, Rajasthan, Udaipur.

(3) Excise Commissioner, Rajasthan shall take necessary action to implement the resolution in the area of Gram Sabha and inform Gram Sabha through Collector of the District.
(4) Gram Sabha shall be competent to lay down limits for possession of country liquor by the resident of the Gram Sabha on special occasions like birth, naming ceremony, betrothal, marriage, during settlement of disputes, death feasts, Holi and Diwali festivals and such other social occasions in view of tradition and customs of the tribal community. Gram Sabha shall specify the quantity of local liquor to be possessed and date wise period of possession. Ganeral permission shall not be given.

30. Views of women to be crucial.- The views of female members present in the Gram Sabha shall be considered to be views of the Gram Sabha and action shall be taken according to those views.

31. Fines and Penalties:- Gram Sabha may pass resolution for levy of suitable fine on persons involving themselves in taking intoxicants in public places, quarreling with women in drinking state, beating wives etc. in view to restrict evils of drinking in society.

32. Removal of Difficulties.-If any difficulty arises in effective implementation of provisions of these rules, the State Government shall give such directions by issuing orders which are in consonance with the provisions of the Act and which are considered essential for removal of such difficulties.

33.Repeal and savings.-The Rajasthan Panchayati Raj(Modification of Provisions in their Applications to the Scheduled Areas) Rules, 2002 is hereby repealed:

Provided that all action taken or order made under the rules so repealed shall be deemed to be taken or made under these rules.

[No.F.4(6)PESARules/Legal/PR/2010/ 1938]

By order of the Governor,

Kishan Lal Baditia,

Deputy Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.

1167
1/4/13

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित | *Published by Authority*
फाल्गुन 10, शुक्रवार, शाके 1934–मार्च 1, 2013
Phalguna 10, Friday, Saka 1934– March 1, 2013

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेश, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज विभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 27, 2013

जी.एस.आर 119 :– राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 16) की धारा 3 के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) नियम, 2011 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. – (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) (संशोधन) नियम, 2013 है।

2. ये राज–पत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 26 का संशोधन.– राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के समंबन्ध में उपान्तरण) नियम, 2011 के नियम 26 में :–

(i) उप–नियम (1) के खण्ड (iv) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''शुद्ध राजस्व'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''सकल राजस्व'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) उप–नियम (2) के विद्यमान खण्ड (viii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

''(viii) वन विभाग उस सम्बन्धित पंचायत को, जिसके क्षेत्र से बांस फसल हुई है, सकल राजस्व अन्तरित कर देगा'', और

(iii) उप–नियम (3) के खण्ड (iii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''शुद्ध

राजस्व'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''सकल राजस्व'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[संख्या एफ.4(6) पीसारुल/विधि/पंरा/2010/250]

राज्यपाल आदेश से,

किशन लाल बाडेटिया,

शासन उप सचिव।

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATI RAJ
(PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT)

NOTIFICATION

Jaipur, February 27, 2013

G.S.R. 119 :- In exercise of the powers conferred by section 4 read with section 3 of the Rajasthan Panchayati Raj (Modification of Provisions in their Application to the Scheduled Areas) Act, 1999 (Act No. 16 of 1999) and all other powers enabling it in this behalf, the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Panchayati Raj (Modification of Provisions in their Application to the Scheduled Areas) Rules, 2011, Namely :-

1. Short title and commencement .- (1) These rules may be called the Rajasthan Panchayti Raj (Modification of Provisions in their Application to the Scheduled Areas) (Amendement) Rules, 2013.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Offical Gazette.

2. Amendment of rule 26.- In rule 26 of the Rajasthan Panchayati Raj (Modification of Provisions in their Application to the Scheduled Areas) Rules, 2011,-

(i) in clause (iv) of sub-rule (1), for the existing expression "net revenue", the expression "gross revenue" shall be substituted.

(ii) the existing clause (viii) of sub-rule (2), shall be substituted by the following, namely :-

"(viii) the Forest Department shall transfer the gross revenue to the respective Panchayat from whose area bamboo has been harvested ; and".

(iii) in clause (iii) of suv-rule (3), for the existing "net revenue", the expression "gross revenue" shall be substituted .

[No. F.4(6) PESARule/Legal/PR/2010/250]

By Order of the Governor,

किशन लाल बाडेटिया,

Deputy Secretary to Government.

Government Central Press, Jaipur.